न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1913–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 5–6–14 पारित –व्दारा – अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर – प0क0 189/11–12 निगरानी

जगदीश प्रसाद कुर्मी पुत्र गुलजारी कुर्मी
ग्राम गढ़ी तहसील नौगॉव जिला छतरपुर
विरूध्द –आवेदक

श्रीमती बंसती बाई,
निवासी लाल कडक्का मंदिर के पास छतरपुर ––अनावेदिका

श्री के.के.द्विवेदी अभिभाषक – आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 14.7.2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 189/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–6–14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मौराहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 206 लगायत 212 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) मंदिर श्री लालकडक्का के नाम कब्जेदार वावा दीनदयाल महॅत सन 1938–39 में दर्ज होकर खसरे के कालम नंबर 17 में माफी भूमि दर्ज थी तथा वावा दीनदयाल महॅत संबत 2022 तक इस भूमि पर कब्जेदार के रूप में अभिलिखित रहै हैं। संबत 2022 से 2024 के खसरे में प्रकरण कमांक 160 अ 6/65–66 में तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–5–66 का उल्लेख कर वावा दीनदयाल महॅत के नाम की प्रविष्टि को घेर कर बैजनाथ कुर्मी का नाम अंकित कर

दिया गया। दिनांक 23–1–2007 को पुजारी महिला बसंतीवाई ने तहसीलदार को संहिता की धारा 115 सहपठित 116 एंव सहपठित धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि वादग्रस्त भूमि लालकड़क्का मंदिर छतरपुर की होकर सेवा पूजार्थ है जिसकी फसल साल दर साल मंदिर के लिये आती है किंतु मंदिर की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व रिकार्ड में आवेदक जगदीश ने अपने नाम दर्ज करा ली है एंव कृषि उपज का हिस्सा देना बंद कर दिया है अतः वादग्रस्त भूमि पूर्ववत् मंदिर श्री लालकड़क्का के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण दर्ज कर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई की तथा आदेश दिनांक 13–4–2009 पारित कर निरूपित किया कि प्रकरण कमांक 160 अ 6/65–66 में पारित आदेश दिनांक 14–5–66 से नाम अंकित किया गया है इसलिये संहिता की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत प्रविष्टि को सुधारा नहीं जा सकता।

तहसीलदार छतरपुर के उक्त आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहॉ अपील होने पर प्रकरण कमांक 160/अ–6अ/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–7–11 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 13–4–09 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी कमांक 89/11–12 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 5 जून 14 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि कुल किता 7 है जिसका रकबा 1.271 हेक्टर है जो निगरानीकर्ता के भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है। बंदोवस्त के पूर्व 1938 में यह भूमि बाबा

दीनदयाल के स्वत्व एंव स्वामित्व पर दर्ज रही है एंव वावा दीनदयाल इस भूमि के मालिक व कब्जेदार रहे है, जिसके उपरांत प्रकरण कमांक 160 अ 6/65—66 में पारित आदेश दिनांक 14—5—66 से तहसीलदार छतरपुर ने इस भूमि पर बैजनाथ कुर्मी का नामान्तरण किया है तथा बैजनाथ कुर्मी ने पंजीयत विकय पत्र दिनांक 25—1—88 से वादग्रस्त भूमि आवेदक को विकय की है जिसके आधार पर आवेदक का नामान्तरण राजस्व अधिकारियों ने किया है । पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर कय की गई भूमि पर किया गया नामान्तरण संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत रीओपिन नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपर कलेक्टर एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने की मांग की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम मौराहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 206 लगायत 212 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) मंदिर श्री लालकडक्का के नाम सन 1938—39 में दर्ज होकर खसरे के कालम नंबर 17 में माफी भूमि दर्ज रही है तथा वावा दीनदयाल महॅत संबत 2022 तक इस भूमि पर कब्जेदार के रूप में अभिलिखित रहै हैं अर्थात भूमि मंदिर श्री लालकड़क्का की होकर उसके उपभोग हेतु वावा दीनदयाल महॅत मात्र कब्जेदार अंकित रहे है। इसी भूमि को शासकीय अभिलेख में प्रकरण कमांक 160 अ 6/65—66 में पारित आदेश दिनांक 14—5—66 अंकित कर भूमि पर बैजनाथ कुर्मी का नाम लिखने एंव वावा दीनदयाल महॅत के नाम पर घेरा लगाने का तथ्य बताया गया है, जो जांच का विषय है कि क्या तहसीलदार छतरपुर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 160 अ 6/65—66 में उक्तानुसार कार्यवाही हुई है अथवा नहीं ? और क्या मंदिर श्री लालकडक्का के नाम की भूमि जिसके कब्जेदार पुजारी अर्थात वावा दीनदयाल महॅत थे, को भूमि अंतरिम करने का अधिकार था अथवा नहीं तथा वादग्रस्त भूमि शासकीय मंदिर

के नाम से हटाकर बैजनाथ कुर्मी के नाम किस आधार पर दर्ज हुई ? इन सभी तथ्यों की जांच के उद्वेश्य से अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने प्रकरण कमांक 160/अ–6अ/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–7–11 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 13–4–09 निरस्त किया है तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। वैसे भी आवेदक को तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण जांच संबंधी तथ्यों पर राजस्व मण्डल के स्तर पर विचार करने का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। फलतः अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 089/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–6–14 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर